

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

1. सुरेन्द्र कुमार] पि० भगत राम उनवान
2. सतपाल सिंह] वनाम 1. भगत राम पुत्र जेतराम
जाति जाट निवासी जनाणा 2. सीता पुत्री भगत राम
दावा बाबत :- 88 R.T.A.C.T जाति जाट निवासी जनाणा
मुकदमा नम्बर :- 86/2021 3. SBI (ADB) शाखा दानीबड़ी
निर्णय दिनांक :- 03/12/2021

वादी की ओर से वकील श्याम सुन्दर शर्मा की व प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से वकील जाकिर इसेन की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 3 MRN के खाता संख्या 56/57 सम्बत 2073-76 के अ.न. 58 के किला न. 8, 9/1, 9/2, 10, 12/1, 12/2, 13, 17 ता 19, 22, 23 कुल कित 12 की कुल 2.4780 हेक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 1 भगत राम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी संख्या 1 सुरेन्द्र कुमार, वादी संख्या 2 सतपाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 भगत राम की बहिस्सा बराबर के खातेदार काइतकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग की पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन कर्ज हो तो रहने मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 03/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़